

राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- ई-11/नर्स-2/एचएचडब्ल्यू-148/2018/

दिनांक-

आदेश


अवमानना याचिका संख्या 1342/2017 इन एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 12185/2016 बाबूलाल राजपूत बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.09.16 की पालना में श्री बाबूलाल राजपूत ने अभ्यवेदन दिनांक 26.11.16 के साथ निर्णय की प्रति संलग्न कर 27 वर्ष की राज्य सेवा पूर्ण करने वेतनमान 6500-10500 के स्थान पर 7500-12000 स्वीकृत किये जाने हेतु निवेदन किया है। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.09.16 निम्न प्रकार है:-

Learned counsel prays for disposal of the writ petition with liberty to make a representation to the respondents in the light of judgments of this court in the case of Bhuvneshwar Pal Vs. State & Anr., SB Civil Writ Petition No.2830/2013 along with connected matters, decided on 13/08/2014 and in the case of Devi Singh Swarnakar Vs. State of Raj. & Ors., SB Civil Writ Petition No.10028/2011 along with connected matters, decided on 25.08.2011. The representation aforesaid may be considered by the respondents in the light of the judgments (supra).

In view of the limited prayer, writ petition is disposed of 2 with the liberty as prayed for. In case of representation, respondents are directed to consider the same in the light of the directions given in the judgments (supra), if it applies to the facts of this case. The representation would be decided by a speaking order within a period of three months. A copy of the judgments (supra) would also be enclosed along with the representation.

उक्त निर्णय एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 2830/2013 भुवनेश्वर पाल बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 13.08.14 एवं एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 10028/2011 देवीसिंह स्वर्णकार बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 25.08.11 के समान एवं पूर्णतः कवर होता है। जिसमें उक्त याचिकाकर्ताओं के समान ही 27 वर्ष की राज्य सेवा पूर्ण करने पर वेतनमान 7500-12000 स्वीकृत किये जाने से संबंधित है।

प्रकरण में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 26.11.16 के तथ्यों के मध्यनजर पूर्ण विवेचन व मनन पश्चात याचिकाकर्ता को 27 वर्ष की राज्य सेवा पूर्ण करने पर वेतनमान 6500-10500 के स्थान पर वेतनमान 7500-12000 स्वीकृत करते हुये अभ्यावेदन दिनांक 26.11.16 को एतद् द्वारा निस्तारित किया जाता है।

  
(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक- 04/06/2018

क्रमांक :- ई-11/नर्स-2/एचएचडब्ल्यू-148/2018/805

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर को उनके आई.डी.क्रमांक 3058 दिनांक 21.05.18 के क्रम में।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-3)विभाग राजस्थान जयपुर को उनके आई.डी.क्रमांक 829 दिनांक 21.05.18 के क्रम में।
3. श्री श्याम आर्य, राजकीय अधिवक्ता, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
4. उपविधि परामर्शी मुख्यालय।
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सामान्य चिकित्सालय गंगापुर सिटी को भेजकर लेख है माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.09.16 की पालना कर अवगत करावें।
6. उप निदेशक (नर्सिंग) एवं समन्वयक मुख्यालय को भेजकर लेख है कि प्रकरण की रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर प्रकरण खारिज करवाने की कार्यवाही करावें।
7. श्री बाबूलाल राजपूत, याचिकाकर्ता को रिट पर उपलब्ध पते पर।
8. प्रभारी सर्वर रूम को विभागीय बेबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. आदेश पत्रावली।

  
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर।